न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—99 / 2016 (2016 / 00088) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायणी पुत्री बंशीलाल सरक्षंक माता गंगा बेवा बंशीलाल जांगीड़ ब्राहम्ण नि.थला तह.रायपुर
2—गंगा बेवा बंशीलाल जांगीड़ ब्राहम्ण निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रामलाल पिता हजारी जांगीड़ ब्राहम्ण निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पुष्पादेवी पत्नि सत्यनारायण सुथार निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. पर्वत सिंह, हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—09.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया संख्या 1 नाबालिक है और प्रार्थीया संख्या 2 के सरक्षंक में रह रही है प्रार्थीया संख्या 1की सगी माता है जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीया 1 की ओर जरिये सरंक्षक प्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। परिवार के मूल पुरूष हजारीजी थे जिनके 2 पुत्र रामलाल व भैरूलाल हुए जिसमें से भैरूलाल की मृत्यु हो चुकी है और रामलाल जीवित है जो प्रार्थीगण के दादा व ससुर है तथा रामलाल के 1 पुत्र बंशीलाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है दिनांक 01.07.2006 को हो चुकी है। प्रार्थीगण मृतक बंशीलाल के वारीस होकर पुत्री पत्नि है। ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष हजारीजी जो प्रार्थी संख्या 1 के परदादा व प्रार्थीया संख्या 2 के दादिया सुसर थे जिनके खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 418 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 380 पर दर्ज होकर स्थित थी। इसी प्रकार साबिक खाता संख्या 381 में अकिंत आराजी संख्या 324 / 1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 414 / 1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 414 / 2 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 415 रकबा 1 बिस्वा चाह, आराजी संख्या 416 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 417 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 426 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 419 / 1, 430 / 1 का संयुक्त रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 1207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 1220, 1221 का संयुक्त रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित होकर [illegible] का 1 / 2, अमरा आत्मज गंगाराम 1 / 4, नानु हीरा आत्मज श्रीराम 1 / 4 हिस्सा बर[illegible] ब्राहम्ण के नाम दर्ज रकार्ड थी उसमें से प्रार्थीगण के पूर्वज हजारी का 1 / 4 हिस्सा निहित [illegible] दर्ज रकार्ड था। विपक्षी संख्या 1 जो वर्तमान में जिवित है उनके मात्र 1 [illegible] जीवनकाल मे ही [illegible] हो गई मृतक बंशीलाल के विधिक वाधिक वारीस प्रार्थीगण है। [illegible] मृतक बंशीलाल की [illegible]णी की वारीस है और बंशीलाल की विरासत से उनके हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण का बराबर हिस्सा निहित है और उसके हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण के पिता व पति की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण विपक्षी संख्या1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

के पास ही निवास करते चले आ रहे थे। परन्तु विपक्षी संख्या 1 के द्वारा 3 वर्ष पूर्व मारपीट कर निकाल दिया जिससे प्रार्थीया अपने पिहर ग्राम मानपुरा में निवास कर रही है विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीगण की कोई सुध नही ली एवं भरणपोषण भी नही किया गया जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को भरण पोषण उवं शिक्षा के खर्च हेतु सक्षम न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के यहां याचिकाएं प्रस्तुत करनी पड़ी है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को कई बार धमकिया दी गई कि मे तुम्हे किसी भी सुरत में हमारी पुश्तैनी सम्पति में हिस्सा नही दुगां फिर भी प्रार्थीगण विपक्षी 1 बुजर्ग होने से विश्वास में रह गये।

ग्राम थला का भू प्रबन्ध हुआ जिससे नवीन नम्बर 1705/667 रकबा 0.42 है0 राजस्व खाता संख्या 524 पर कायम किये गये तथा आराजी संख्या 674 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 675 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि खाता संख्या 527 कायम किये गये एवं आराजी संख्या 668 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 677 रकबा 0.10 है0 गै.मु. आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 राजस्व खाता संख्या 531 पर कायम किये गये तथा आराजी संख्या 590 रकबा 0.60 है0 राजस्व खाता संख्या 532 कायम किये गये एवं आराजी संख्या 662 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1206 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1221 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 राजस्व खाता संख्या 530 कायम किये गये तथा आराजी संख्या 670 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 676 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 राजस्व खाता संख्या 529 कायम किये गये एवं आराजी संख्या 1253 रकबा 0.74 है0 राजस्व खाता संख्या 528 कायम किये गये तथा आराजी संख्या 723 रकबा 0.29 है0 राजस्व खाता संख्या 538 कायम किये गये उक्त भूमियां पुश्तैनी होने के बावजुद हजारी की मृत्युउपरान्त विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिसमे प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 1 रामलाल आत्मज हजारी के नाम दर्ज खाता संख्या 524 में 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 528 में दर्ज 1/4 हिस्सा में से 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 527, 530, 531, 532 में दर्ज 1/8 हिस्सा मे से 1/16 हिस्सा, खाता संख्या 538 में दर्ज 1/2 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 529 में दर्ज 1/4 हिस्सा मे से 1/8 हिस्सा की घोषणा हम प्रार्थीगण के नाम करवाने की अधिकारिणी है तथा इसी अनुसार इन्द्राज दुरस्ती करा विपक्षी संख्या 1 का शेष हिस्सा दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियां विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 19.07.2016 को पंजीयन करवा दिया जबकि विपक्षी संख्या 1 को प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमियो विकय करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण के मुकाबले हमारे हक व हिस्से तक शुरू से ही शुन्य होकर नल एण्ड वोईड है तथा कानून की नजर में एब एनएसियो वाईड है। और इस विकय पत्र के आधार पर विपक्षी 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थीगण का प्रथम दृश्टया मामला प्रमाणित है और यदि विपक्षी संख्या 2 को नुमायशी बिकाव पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण उसके नाम खुलना लेगा या भूमि को रहन बय बक्षीस कर दी जायगी तो प्रार्थीगण को हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति का आंकलन नकदी में नही किया जा सकेगा। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई [illegible] संख्या 531, 532, 530, 538, 529, 528, 524, 527 में अकिंत आराजियात का नाम[illegible] विपक्षी संख्या 2 को उनके नाम दर्ज नही करावे तथा उनको रहन बय [illegible] अन्य कि[illegible] तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक व [illegible] दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण को बेदखल [illegible] करे। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 11.08.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार होने से कोई दाद नही चाही गई है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब में अकंन किया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी संख्या एक विपक्षी संख्या एक के पुत्र बंशीलाल की पुत्री नहीं है तथा न ही प्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल की पत्नी है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या एक के पुत्र बंशीलाल की पुत्री व पत्नी बनकर झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नहीं है तथा न ही प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य कोई रिश्ता ही हैं। प्रार्थीगण ने गलत सजरा पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 का पुत्र बंशीलाल अवश्य था परंतु उसके नारायणी नाम की कोई पुत्री नहीं थी व न ही हैं। विपक्षी संख्या 1 के पुत्र बंशी लाल को गंभीर बीमारी थी जिससे बंशीलाल 4–5 साल गंभीर बीमार रहने के पश्चात सन् 1999 में उसकी मृत्यु हो गई तथा उसकी पत्नी गंगा उसकी मृत्यु से 3–4 साल पूर्व ही अन्यत्र नाते चली गई तथा वहीं पर प्रार्थी संख्या 1 नारायणी का जन्म हुआ। प्रार्थीगण ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत विपक्षी संख्या 1 की जायदाद में नाजायज हक कायम करने की नीयत से जाली दस्तावेज व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 1.7.2006 का तैयार कर प्रार्थनापत्र में पेश किए हैं जबकि बंशीलाल की मृत्यु सन् 1999 में ही हो गई थी तथा प्रार्थी गण थला के निवासी नहीं होकर ग्राम उदलियास व ग्राम मानपुरा (देवरिया) के स्थाई निवासी हैं तथा इनके पिता व पति का नाम भिन्न हैं व प्रार्थी संख्या 2 की 1 ओर पुत्री है जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही किया गया है। आराजी संख्या 418 विपक्षी संख्या एक के पिता हजारी के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी व अन्य साबिक आराजियात विपक्षी संख्या एक के पिता व अन्य खातेदारान के शामलाती दर्ज रेकॉर्ड थी। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। उक्त सभी भूमिया प्रार्थीगण की मौरूषी भुमियां नहीं है तथा न ही हजारीजी प्रार्थी गण के पड़दादा व दादा ससुर है। उक्त कलम में अंकित भुमियां विपक्षी संख्या एक की स्वअर्जित भुमियां है तथा कुछ भुमिया विपक्षी संख्या एक द्वारा क्रय की गई हैं। जिसके समस्त मालिकाना हक विपक्षी संख्या एक को प्राप्त है। प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या एक से कोई संबंध नहीं हैं। विपक्षी संख्या एक का पुत्र लाऔलाद फौत हुआ है तथा प्रार्थी संख्या दो ने बंशी लाल की मृत्यु के 3–4 साल पूर्व ही अन्य व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया तथा वहीं पर प्रार्थी संख्या एक का जन्म हुआ है। प्रार्थी संख्या दो वर्तमान में ग्राम उदलियास के शिवलाल की पत्नी हैं तथा इसके एक पुत्री और है जिसका नाम आशा है। प्रार्थी गण विपक्षी संख्या एक के पुत्र की पुत्री व पत्नी नहीं हैं। वादग्रस्त भुमियों में प्रार्थी गण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में ग्राम उदलियास व मानपुरा की निवासी हैं। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजियात कुछ विरासत से प्राप्त हुई एवं कुछ स्वअर्जित है विपक्षी के 1 मात्र पुत्र बंशीलाल था जो सन् 1999 में 4–5 साल गंभर बीमार रहने के बाद मर गया उसकी पत्नि गंगादेवी उसकी बीमारी के दौरान अन्यत्र नाते चली गई विपक्षी के पुत्र कोई सतांन नही हुई तथा लाऔलाद फोत हो गया। विपक्षी को खर्च हेतु रूपयो की आवश्यकता होने पर वादग्रस्त भूमि से अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सोंप दिया। बंशीलाल की मृत्यु स... हो... होने के बाद भी मृत्यु का दिनांक 01.07.2006 का झुठा मृत्यु प्रमाण पत्र ... प्रार्थना पत्र ... किया है। प्रार्थीगण विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री प्राप्त करने ...अधिकारी न... जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ग्राम उदलियास व मानपुरा की निवासी है तथा वही पर निवास करते है तथा प्रार्थीगण के राशनकार्ड, वोटर आईडी, भा...शाह कार्ड, वोटर लिस्ट आदि ग्राम मानपुरा व उदलियास के बने हुए है जिसमे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम अलग लिखा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई —

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीया नाबालिक है विपक्षी संख्या 1 दादा है रामलाल के पुत्र बंशीलाल हुआ जिसकी मृत्यु रामलाल के जीवनकाल में भी हो गई ग्राम पंचायत थला के द्वारा बंशीलाल के पुत्री नारायणी होने का प्रमाण पत्र पेश जो शामिल पत्रावली है मूल पुरूष हजारी थे जिनकी विरासत उनके पुत्र रामलाल व भैरूलाल के नाम हुई जिसमें रामलाल का 1/2 हिस्सा है रामलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की रजिस्ट्री विपक्षी संख्या 2 के नाम करा दी जो गलत है। रामलाल ने अपने हक हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हक हिस्से की भी रजिस्ट्री करा दी। प्रार्थीगण रामलाल के मृतक पुत्र बंशीलाल के विधिक वारीस है और इसके साक्ष्य के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के विद्यालय अंकतालिका प्रस्तुत की गई विपक्षी के पास रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज है अगर स्थगन नही हुआ तो भूमि खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है विपक्षी बंशीलाल की मृत्यु 1999 में होना अकिंत किया गया किन्तु इस बाबत कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है ओर न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण को कोई चुनौति दी गई। विवादित भूमियां स्वअर्जित नही होकर पैतृक है। विपक्षी 2 पुष्पादेवी हमारे परिवार के ही भैरूलाल के पुत्र सत्यनारायण की पत्नि है जिसको हमारे विवाद का पता था इसलिये बोनाफाईड क्रेता नही कहा जा सकता है। घोषणात्मक वाद है इसलिये खातेदार के विरूद्व भी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है और इसके समर्थन में न्यायिक दुश्टान्त आरआरटी 2016 (2) पेज 946, आरआरटी 2016 (2) पेज 1063, आरआरटी 2018 (2) प्रस्तुत किया है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि जो दावा लाया गया है उस कॉलम 5 में प्रार्थीया को 8—9 वर्ष की बताई गई है जबकि बंशीलाल की मृत्यु 1999 में हुई है और बंशीलाल की मृत्यु से 3—4 वर्ष पहले ही नाते चली गई प्रार्थीया पोत्री नही है। दिनांक 01.07.2006 को जो मृत्यु प्रमाण पत्र की तारीख लिखी वो गलत है प्रार्थीया 2 बंशीलाल के मरने से पहले उदलियास नाते चली गई जिसकी मतदाता सुची 2009 पेश उसमें उसके पति का नाम शिवलाल है और वर्तमान में मानपुरा रह रही है और उसके 1 लड़की और है जिसका नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थीगण न्यायालय मे क्लीन हैण्ड से नही आये। हिन्दु उत्तराधिकार तब लागु होता है जब खातेदार की मृत्यु हो गई हो दादा जिन्दा है हजारी की मृत्यु 1981 में हुई प्रापटी जब दादा विपक्षी संख्या 1 रामलाल को मिली तब प्रार्थी का अस्तित्व नही था रामलाल ने 19.07.2016 को रजिस्ट्री करा दी अपने जीवन यापन करने के लिये। संयुक्त परिवार में कर्ता खानदान को सम्पूर्ण अधिकार होते है विधिक आवश्यकता के लिये भूमि विक्रय की गई है विपक्षी 2 खरीददार है सारे अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके है रजिस्ट्री सिविल न्यायालय से खारीज करावे और प्रार्थीया को पुत्री मान भी ले तो भी कर्ता खानदान को भूमि विक्रय से नही रोक सकते है और अपने समर्थन में डीएनजे 2013 (2) राजस्थान होईकोर्ट पेज 626, आरआरटी 2014 (1), आरआरटी 2018 (3) सुर्पीम कोर्ट, डीएनजे 2013 (2) राजस्थान होईकोर्ट पेज 678, आरआरटी 2016—17 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 637 खातेदार के विरूद्व स्टे जारी नही किया जा सकता, आरआरडी 2004 (1) पेज 587 नजीरे पेश की गई खातेदार के विरूद्व स्थगन तभी जारी किया जा सकता है जब कब्जा हो। इस प्रकरण में प्रा[illegible] अन्त में यह निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 के द्वारा आगे स्थानान्तरण नही वि[illegible] नामान्तरणकरण खोला जावे।

रिबेटल में प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] कि भूमि विक्रय की विधिक आवश्यकता साबित नही की गई है [illegible] है इनको विवाद का पता है और क्रेता इसी परिवार के सदस्य इसलिये [illegible]। घोषणात्मक वाद में और पैतृक भूमि के विवाद में खातेदार के विरूद्व भी स्टे जारी किया जा सकता है। अगर भूमि का सुरक्षित नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सजरे अनुसार मूल खातेदार हजारीजी थे हजारीजी के 2 पुत्र रामलाल जो विपक्षी संख्या 1 है एवं दुसरा पुत्र भैरूलाल था। विपक्षी संख्या 1 रामलाल के जीवनकाल में बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी थी किन्तु श्री रामलाल को भूमि विरासत में प्राप्त होते समय बंशीलाल का जन्म हो चुका था जिससे विपक्षी संख्या 1 की प्रार्थीगण के विरूद्व स्वअर्जित भूमि नही मानी जा सकती उस दौरान प्रार्थीगण के पिता मौजुद होने से पैतृक सम्पति में बंशीलाल का हक निहित हो गया और बंशीलाल का हक निहित होने से प्रार्थीगण का भी हक निहित होकर पैतृक भूमि है। जहां तक कर्ता खानदान के द्वारा भूमि विक्रय का प्रश्न है तो कर्ता खानदान अपनी जरूरत की आवश्यकता के लिये कुछ भूमि विक्रय कर सकता है किन्तु इस प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी गई है क्रय शुदा भूमि का नामान्तरणकरण केता विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नही खुला है नामान्तरणकरण फिस्कल प्रोसैडिंग है केता नामान्तरणकरण का मोहताज नही है नामान्तरणकरण के अभाव मे भी विपक्षी क्रमांक 2 रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदार के रूप में माना गया है नामान्तरणकरण खुल भी जाता है और वाद वादीगणो के पक्ष में डिकी होता है तो न्यायालय द्वारा जारी डिकी की पालना में वादीगण अपने पक्ष में निर्णय की पालना कराने में स्वतंत्र है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी क्रमांक 1 के पुत्र प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता बंशीलाल की मृत्यु 1999 में होना अपने जवाब में अकिंत किया इस सम्बन्ध में न तो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया और न प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र कोई विधिक चुनौति दी है इसलिये विपक्षी का यह कथन बंशीलाल की मृत्यु 1999 में हो चुकी संदेहस्पद है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मृतक बंशीलाल के विधिक वारीस होने सम्बन्धी शिक्षा की अंकतालिका एवं सरपंच ग्राम पंचायत थला के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीगण रामलाल के मृतक पुत्र बंशीलाल के विधिक वारीस होना प्रकट होता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत कांगणी के प्रमाण पत्र दिनांक 13.08.2016 के अनुसार गंगादेवी पिता गणेश सुथार द्वारा उदलियास नाता विवाह करने से ग्राम उदलियास निवास कर रही है जिसके राशन कार्ड एवं मतदाता सूची 2009 की प्रति पेश की गई जिसमें भी प्रार्थीया संख्या 2 उदलियास के वार्ड संख्या 7 के क्रमांक 134 पर दर्ज मतदाता है भामाशाह कार्ड संख्या 9999एन23जेड00067 पेश की उसमे मानपुरा निवास होना अकिंत किया है। प्रार्थीया 1 के पिता का नाम बंशीलाल उसके साथ आशा पुत्री का नाम दर्ज है जिसमे आशा के पिता का नाम बंशीलाल दर्शा रखा है जबकि दुसरी ओर ग्राम पंचायत कांगणी द्वारा जारी राशन कार्ड में आशा को शिवलाल की बेटी दर्शा रखा है गंगाबाई का ग्राम मानपुरा में भी राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण वर्तमान में ग्राम थला में निवास नही कर रहे है विपक्षी 1 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से विपक्षी संख्या 2 को विक्रय की जा चुकी है। बंशीलाल की मृत्यु कब हुई प्रार्थीया बंशीलाल की पुत्री है या नही यह सारे तथ्य दावे में साक्ष्य व सबुत के आधार पर तय होने है मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि का सरंक्षण किया जाना भी न्यायालय का दायित्व बनता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये उसमें मुख्य रूप से कहा कि खातेदार के विरूद्व स्टे जारी नही किया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद पेश किया गया है जो खातेदारी अधिकारो [illegible] से सम्बधित है। ऐसे घोषणात्मक दावे में अगर प्रार्थी का मौके पर कब्जा हो तो [illegible] भूमि के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने हेतु मूलवाद के निर्णय तक स्टे जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में भूमि विकय की जा चुकी है और विक्रय के आधार पर केता के पक्ष में नामान्तरणकरण भी हो जाये तो भी वादीगण का वाद स्वीकार होने पर हित प्रभावित नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि को सरंक्षण एवं सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आशिंक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम थला के नवीन नम्बर 1705/667 रकबा 0.42 है0 राजस्व खाता संख्या 524, आराजी संख्या 674 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 675 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि खाता संख्या 527, आराजी संख्या 668 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 677 रकबा 0.10 है0 गै.मु.आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 राजस्व खाता संख्या 531, आराजी संख्या 590 रकबा 0.60 है0 राजस्व खाता संख्या 532, आराजी संख्या 662 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1206 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1221 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 राजस्व खाता संख्या 530, आराजी संख्या 670 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 676 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 राजस्व खाता संख्या 529, आराजी संख्या 1253 रकबा 0.74 है0 राजस्व खाता संख्या 528, आराजी संख्या 723 रकबा 0.29 है0 राजस्व खाता संख्या 538 में अंकित **आराजियात का बाद नामान्तरणकरण केता अपने नाम दर्ज विवादित भूमि को आगे किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।** पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.2.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:49 IST
Reason: SelfAttested